सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 19/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री अमित मेहता पुत्र श्री देवकिशन, जाति मेहता निवासी नारायणखेड़ा रोड़ समरानिया तहसील शाहाबाद (मालिक एवं विक्रेता) मेसर्स विकास प्रोविजन स्टोर, मेन मार्केट समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां **(अप्रार्थी)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)
2— अप्रार्थी स्वंय

निर्णय दिनांक 10.07.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.09.2016 को मैसर्स विकास प्रोविजन स्टोर, मेन मार्केट समरानिया तहसील शाहाबाद पर पहुंचा। वहॉ पर श्री अमित मेहता पुत्र श्री देवकिशन, मौके पर मौजूद विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (श्री संस्कार)** 500 ग्राम के पौलिपेक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर उक्त **मिर्च पाउडर (श्री संस्कार)** का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म सं. 5 ए पर देते हुये 500 ग्राम के 4 पौलिपेक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 400/— रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **मिर्च पाउडर (श्री संस्कार)** 500 ग्राम के 4 पौलिपेक को चार प्लास्टिक के डिब्बों में पेक करके डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की डिब्बों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2016/332 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 190/FSSA/ Kota/Act/2016/355 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, **मिर्च पाउडर (श्री संस्कार)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तथा सीधे बहस करना चाहा।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस **मिर्च पाउडर (श्री संस्कार)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने कथन किया कि जानकारी के अभाव में उससे गलती हो गई। अतः अप्रार्थी की गलती को क्षमा किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, **मिर्च पाउडर (श्री संस्कार)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)